


2.12.21 - पत्रावली प्रशासन जाँच के लिए
अभियान 2021 रैम्प राजसोता में रखी
गई। राज. पेटवारा डे उपाय यथ विधा
जो आठ मं. रहे। उपस्थित पत्रों को सुना
जाया। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता
है। विस्तृत डिटेल पुस्तक से लिखाया जाकर
सुनाया जाया। पत्रावली फंसल मुकाबले का
हाथिला इफ्तार हो।


सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज०

पीठासीन अधिकारी - मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या - 25/2021

प्रार्थी - सुरेशचन्द पुत्र पन्नालाल जाति ब्राम्हण निवासी मेहराणा तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी - तहसीलदार डेगाना जिला नागौर राज०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री त्रिलोक शर्मा

दिनांक 2.12.2021

-:: आदेश ::-

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मेहराणा तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नंबर 328 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 3.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.7400 हैक्टेयर भूमि स्थित है उपरोक्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी दर्ज है जिनके पुराने खसरा नंबर 199, 171, 199/1, 75, 14 है। प्रार्थी का सही नाम सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल है जो नाम इनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। प्रार्थी के पिता पन्नालाल का देहान्त हुआ तब पुराने खसरा नंबर 199, 171, 199/1, 75, 14 जिनके नये खसरा नंबर 328, 329, 145, 24 का नामान्तकरण भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का नाम श्यामसुन्दर पुत्र पनालाल नामान्तकरण में गलत दर्ज हो गया। सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल व श्यामसुन्दर पुत्र पनालाल नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा खसरा की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का सही नाम सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को भूमि के विकास करवाने व ऋण आदि प्राप्त करने तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामसुन्दर पुत्र पन्नालाल के स्थान पर सही नाम सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल दर्ज किया जाता है तो किसी सहखातेदार व अन्य व्यक्ति को कोई हानि नहीं होने वाली है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मेहराणा तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नंबर 328 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 3.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.7400 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी के गलत नाम श्यामसुन्दर पुत्र पनालाल के स्थान पर सही नाम सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल दर्ज किया जाकर रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।



सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

2


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता पन्नालाल का देहान्त होने पर इनके वारिसों के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 295 के द्वारा ईश्वरलाल, भरतलाल, श्यामसुन्दर पि० पन्नालाल कौम ब्राम्हण के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है जबकि ग्राम में इनको श्यामसुन्दर व सुरेश चन्द दोनो नाम से पुकारते है। श्यामसुन्दर व सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल नाम का एक ही व्यक्ति है। श्यामसुन्दर पुत्र पनालाल के स्थान पर सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल किया जाना उचित है।

पत्रावली को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प राजलोता में रखा गया। उपस्थित पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। तहसीलदार डेगाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को गांव में श्यामसुन्दर व सुरेश चन्द दोनो नाम से जानते है तथा दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार डेगाना ने उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में श्यामसुन्दर पुत्र पनालाल के स्थान पर सुरेश चन्द पुत्र पन्नालाल किये जाने की अनुशंषा की है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मेहराणा तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नंबर 328 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 3.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.7400 हैक्टेयर की खातेदारी में दर्ज श्यामसुन्दर पुत्र पन्नालाल के स्थान पर सुरेश चन्द उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र पन्नालाल दर्ज किया जाकर रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां पूर्ववत् रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)